कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गौतमबुद्धनगर

दिनांक 05.08.2019

<u>थाना फेस–2, थाना फेस–3, थाना सूरजपुर</u>

बाईक बोट पावर्ड बाई गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड नामक कम्पनी के बाईक बोट घोटाले से सम्बन्धित पंजीकृत करीब 46 मुकदमों के लिये गठित की गयी SIT द्वारा की जा रही विवेचना में करीब 02 माह से वांछित चल रहे अभियुक्तगण जोकि कम्पनी में एडीशनल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहे है को क्रमशः थाना फेज 2 व थाना फेज 3 व थाना सूरजपुर की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

1. हरीष कुमार पुत्र हरमेश सिंह राणा नि0- म0न0 141 न्यू डिफेंस कालोनी फेस 01 परागपुर जालंधर पंजाब उम्र करीब 43 वर्ष।
2. राजेश सिंह यादव पुत्र रामसिंह यादव निवासी- म0न0 5/47 फौजी वाली गली ,रामा मण्डी ,नियर शिव माडल स्कूल जालंधर पंजाब उम्र करीब 39 वर्ष।
3. विशाल कुमार पुत्र गजराज सिंह नि0- म0न0 903 वार्ड नं0-6 मौहल्ला हीरा लाल मवाना मेरठ उम्र करीब 35 वर्ष।

उल्लेखनीय है कि बाईक बोट स्कैम SIT की विवेचना से कई हजार करोड़ का होना पाया गया है एंवम् इसमें इस समय कुल 05 अभियुक्त वर्तमान में जेल में है। जिसमें इस पूरे प्रकरण का मुख्य आरोपी संजय भाटी भी शामिल है।SIT द्वारा अभी तक 08 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी है। जिसमें एक अभियुक्त द्वारा कोर्ट में आत्मसमर्पण किया गया है। अभी तक गिरफ्तारी के लिये शेष वांछित सभी 12 अभियुक्तगण पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौतमबुद्धनगर द्वारा 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इस प्रकरण में अब तक विवेचना से 18 बैंक खाते फ्रीज करायें गये है। जिसमें विभिन्न कम्पनीयों व व्यक्तियों से लगभग 3 से 4 हजार करोड़ का ट्रान्जेक्शन होना पाया गया है। प्रकरण में SIT द्वारा अभी तक चारपहिया लग्जरी वाहन- 35 (रेन्ज रोवर स्पोर्ट 3.0- 01 , टोयटा फारच्यूनर- 12, महेन्द्रा बोलेरो-04, मारूती ब्रेजा- 07, टाटा नेक्सॉन- 03, महेन्द्रा टीयूवी 300- 01, महेन्द्रा स्कार्पियो- 03) कुल अनुमानित कीमत लगभग 8.25 करोड रूपये , दोपहिया वाहन - 104 (मोटरसाईकल बजाज-77 , टीवीएस-25, बुलट-2) कुल अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रूपये तथा इस प्रकार अभी तक इस प्रकरण में एस0आई0टी0 द्वारा कम्पनी के नाम पर पंजीकृत तकरीबन 8.75 करोड कीमत के वाहनों का जब्तीकरण किया गया है।SIT द्वारा की जा रही विवेचना में और भी अभी कार्यवाही प्रचिलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

हरीष कुमार पुत्र हरमेश सिंह राणा नि0- म0न0 141 न्यू डिफेंस कालोनी फेस 01 परागपुर जालंधर पंजाब

अभियुक्त हरीश कुमार द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि वह पूर्व में आर्मी में हवलदार के पद पर नियुक्त था अप्रेल 2017 में रिटार्यड होने के बाद अगस्त 2017 से गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लि0 (बाईक बोट) में कार्य कर रहा हैतथा वह कम्पनी में एडीशनल डायरेक्टर के पद पर भी कार्यरत रहा है तथा उसे कम्पनी से करीब 15 से 20 लाख रुपये की कमीशन मिल चुकी है, कम्पनी द्वारा उसे एक फारचूनर कार भी दी गयी। कम्पनी में उसका कार्य निवेशकों को स्कीम बताकर प्रलोभित कर निवेष कराने का था। अभियुक्त द्वारा हजारो निवे शकों को फर्जी तरीके से कम्पनी का मैमोरेन्डम बताकर झूठे लाभ का आश्वासन देते हुए अधिक से अधिक निवेश कराया गया है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता</u>

राजेश सिंह यादव पुत्र रामसिंह यादव निवासी- म0न0 5/47 फौजी वाली गली ,रामा मण्डी ,नियर शिव माडल स्कूल जालंधर पंजाब

अभियुक्त राजेश सिह यादव द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि वह पूर्व में आयुर्वेदिक मेडीसिन डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करता था तथा वर्ष 2017 से गर्वित इनोवेटिव प्रमोटरर्स लि0 (बाईक बोट) में कार्य कर रहा हैतथा वह कम्पनी में एडीशनल डायरेक्टर के पद पर भी कार्यरत रहा है तथा उसे कम्पनी से 35 से 40 लाख रुपये की कमीशन मिल चुकी है, कम्पनी द्वारा उसे एक फोरच्यूनर कार भी दी गयी। कम्पनी में उसका कार्य निवे शकों को स्कीम बताकर प्रलोभित कर निवेष कराने का था। अभियुक्त द्वारा हजारो निवे शकों को फर्जी तरीके से कम्पनी का मैमोरेन्डम बताकर झूठे लाभ का आश्वासन देते हुए अधिक से अधिक निवेश कराया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

विशाल कुमार (एडीसनल डायरेक्टर) पुत्र गजराज सिंह नि0- म0न0 903 वार्ड नं0-6 मौहल्ला हीरा लाल मवाना मेरठ

अभियुक्त बिशाल द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि वह पूर्व में आयुर्वेदिक कम्पनी IMC में मेडीसिन डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करता था तथा वर्ष 2017 से गर्वित इनोवेटिव प्रमोटरर्स लि0 (बाईक बोट) में कार्य कर रहा हैतथा वह कम्पनी में एडीशनल डायरेक्टर के पद पर भी कार्यरत रहा है तथा उसे कम्पनी से करीब 30 लाख रुपये की कमीशन मिल चुकी है, कम्पनी द्वारा उसे एक टाटा नेक्सान कार भी दी गयी। कम्पनी में उसका कार्य निवेशकों को स्कीम बताकर प्रलोभित कर निवेष कराने का था। अभियुक्त द्वारा हजारो निवे शकों को फर्जी तरीके से कम्पनी का मैमोरेन्डम बताकर झूठे लाभ का आश्वासन देते हुए अधिक से अधिक निवेश कराया गया है।

उपरोक्त अभियुक्तगण हरीश कुमार व विशाल कुमार को उक्त बाईक बोट पावर्ड बाई गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड द्वारा दी गयी लग्जरी गाडियो को पुलिस टीम द्वारा जब्त किया जा चुका है।

थाना सैक्टर–49

50 हजार रूपये का ईनामी हत्यारोपी अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 04.08.2019 को थाना सैक्टर–49 पुलिस द्वारा 50 हजार रूपये का ईनामी हत्या में वांछित अभियुक्त को बरौला टी–पांइट से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सैक्टर–49 पर पंजीकृत मु0अ0स0 158/13 धारा 302 भादवि मे वांछित चल रहा था।

अपराध का विवरण –

अभियुक्त वर्ष 2013 में म0नं0–ए/445 सैक्टर–47 नोएडा में निर्माणाधीन मकान पर सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त था, जिसके द्वारा मोबाइल के विवाद को लेकर उक्त मकान में कार्यरत पिलम्बर नूरआलम की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। जिसकी गिरफ्तारी हेतु काफी प्रयास किया गया। अभियुक्त की कुर्की के उपरान्त श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ द्वारा 50 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया था।

अभियुक्त का विवरण –

1. संजय धोबी पुत्र सरिया नि0 ग्राम पहरेथा थाना खरैला जिला महोबा।

अभियोग का विवरण –

1. मु0अ0स0 158/13 धारा 302 भादवि थाना बिसरख जिला गौतमबुद्धनगर ।

थाना सूरजपुर

पुलिस मुठभेड के उपरान्त 01 शातिर कार (कैब) लुटेरा गिरफ्तार।

दिनांक 04/05.08.2019 की रात्रि में थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा भटटा गोलचक्कर से पुलिस मुठभेड के उपरान्त 01 शातिर वाहन लुटेरा गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से लूटी गयी 01 कार, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, दो चैक, एक मोबाइल फोन, 940 रूपये व अवैध शस्त्र बरामद किये गये है।

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो आम जनता के साथ अवैध शस्त्रो के बल पर लूटपाट जैसा जघन्य अपराध कारित करता था। अभियुक्त ने डी पार्क, थाना ईकोटेक–3 क्षेत्र से ओला कैब ड्राइवर से कार लूट की थी। आरटी सैट पर उक्त लूट की सूचना प्रसारित होने पर थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा तुरन्त कार्यवाही करते हुये चैकिंग की गयी, चैकिंग के दौरान भटटा गोल चक्कर के पास उक्त कार को आते देखा और कार को रोकने की कोशिश की गयी। तो बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गयी। पुलिस द्वारा जबाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया और एक बदमाश फरार हो गया। जिसकी तलाश हेतु पुलिस द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है। घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम–

1. तरूण गौतम पुत्र कृष्ण गौतम नि0 कमला नगर थान न्यू आगरा जिला आगरा।

बरामदगी का विवरण –:

1. लूटी गयी एक स्वीफ्ट कार नं0 डीएल 1जैड सी 7564।
2. एक तमंचा 315 बोर मय दो खोखा कारतूस व चार जिन्दा कारतूस।
3. एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, दो चैक।
4. एक मोबाइल फोन।
5. 940 रूपये।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 407/19 धारा 394 भादवि थाना ईकोटेक–3 जिला गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0स0. 1083/19 धारा 307/34 भादवि थाना सूरजपुर जिला गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0स0 1084/19 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर जिला गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0स0 193/17 धारा 392 भादवि थाना ताजगंज आगरा जनपद आगरा।
5. मु0अ0स0 449/17 धारा 392 भादवि थाना ताजगंज जनपद आगरा।
6. मु0अ0स0590/17 धारा 392 भादवि थाना ताजगंज आगरा जनपद आगरा।
7. मु0अ0स0 536/17 धारा 380/411 भादवि थाना ताजगंज आगरा जनपद आगरा।

थाना फेस–3

दिनांक 05.08.2019 को थाना फेस–3 पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शराब तस्कर अभियुक्त को बहलोलपुर गेट के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 46 पव्वे इम्पैक्ट ग्रीन व्हिस्की हरियाणा मार्का शराब बरामद की गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना फेस–3 पर मु0अ0सं0 934/19 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त का विवरण –

1. वकील पुत्र चन्द्रमा नि0 ग्राम धर्मा थाना करन्डा जाल जिला गाजीपुर हाल पता छिजारसी थाना फेस–3 नोएडा।

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0 934/19 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना फेस–3 जिला गौतमबुद्धनगर

बरामदगी –

1. 46 पव्वे इम्पैक्ट ग्रीन व्हिस्की हरियाणा मार्का शराब।

थाना फेस–3

दिनांक 05.08.2019 को थाना फेस–3 पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शराब तस्कर अभियुक्त को ग्लोबल अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 32 पव्वे इम्पैक्ट ग्रीन व्हिस्की हरियाणा मार्का शराब बरामद की गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना फेस–3 पर मु0अ0सं0 935/19 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त का विवरण –

1. मनोज पुत्र जयराम नि0 ग्राम नबाबगंज थाना साण्डी जिला हरदौई हाल नि0 जी–ब्लांक सैक्टर–63 थाना फेस–3 नोएडा।

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0 935/19 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना फेस–3 जिला गौतमबुद्धनगर

बरामदगी –

1. 32 पव्वे इम्पैक्ट ग्रीन व्हिस्की हरियाणा मार्का शराब।

थाना फेस–2

दिनांक 05.08.2019 को थाना फेस–2 पुलिस द्वारा चैकिंग अभियान "Criminals Out Drive" के दौरान विगत दिनों फायरिंग करते हुये वायरल हुई वीडियों से सम्बन्धित एक अभियुक्त को सैक्टर–82 शराब के ठेके के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से वायरल वीडियों में दिखायी गयी एक पिस्टल .32 बोर मय दो जिन्दा कारतूस बरामद किये गये है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पिस्टल से फायरिंग करते हुये वीडियों वायरल की थी। जिस सम्बन्ध में थाना फेस–2 पर मु0अ0सं0 606/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्त का विवरण –
1.नवीन पुत्र वीरेन्द्र बैरागी नि0 ग्राम इलाहाबास थाना फेस–2 नोएडा।

आपराधिक इतिहास –
1. मु0अ0स0 215/17 धारा 384/506/427 भादवि थाना एक्सप्रेस वे जिला गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 598/19 धारा 336 भादवि थाना फेस–2 नोएडा।
3. मु0अ0सं0 606/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस–2 नोएडा।

बरामदगी –
1. एक पिस्टल .32 बोर मय दो जिन्दा कारतूस।

थाना सैक्टर–39

दिनांक 04.08.2019 को थाना सैक्टर–39 पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान हाजीपुर अण्डरपास सैक्टर–98 से 01 शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की एक सैन्ट्रों कार नं0 डीएल 4सी एपी 1623 बरामद की गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना सैक्टर–39 पर मु0अ0सं0 810/19 धारा 414 भादवि व 41/102 सीआरपीसी पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त का विवरण –
1. हसीन पुत्र रहीस नि0 सराय मिया मौहल्ला थाना देहली गेट जिला अलीगढ।

आपराधिक इतिहास –
1. मु0अ0स0 810/19 धारा 414 भादवि व 41/102 सीआरपीसी थाना सैक्टर–39 जिला गौतमबुद्धनगर

बरामदगी –
1. चोरी की एक सैन्ट्रों कार नं0 डीएल 4सी एपी 1623।

थाना सैक्टर–39

दिनांक 04.08.2019 को थाना सैक्टर–39 पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान गोल पल्स गेटवे टावर सैक्टर–44 से 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 45 पव्वे देशी शराब नाजायज बरामद की गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना सैक्टर–39 पर मु0अ0सं0 811/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त का विवरण –
1. सुबीर विश्वास पुत्र जगन्नाथ विश्वास नि0 एचडीएफसी बैंक वाली गली सूरजपुर जिला गौतमबुद्धनगर।

आपराधिक इतिहास –
1. मु0अ0स0 811/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सैक्टर–39 जिला गौतमबुद्धनगर

बरामदगी –
1. 45 पव्वें देशी शराब नाजायज।

थाना सैक्टर–39

दिनांक 05.08.2019 को थाना सैक्टर–39 पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान गोल चक्कर सैक्टर–94 से 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर मय दो जिन्दा कारतूस नाजायज बरामद किये गये है। जिसके सम्बन्ध में थाना सैक्टर–39 पर मु0अ0सं0 812/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त का विवरण –

1. आशू उर्फ बिटटू उर्फ हरेन्द्र पुत्र सुनील कुमार नि0 झुग्गी झोपडी सैक्टर–8 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर।

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0 812/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सैक्टर–39 जिला गौतमबुद्धनगर

बरामदगी –

1. एक अदद तमंचा 315 बोर मय दो जिन्दा कारतूस।